(घ) भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न आय वर्ग आवास योजन, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा ग्रामीण आवास स्थल सहित गृह निर्माण योजना उपलब्ध हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को अपना निजी मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है । सरकारी कर्मचारियों को भी अपना निजी मकान बनाने के लिए गृह निर्माण अग्रिम दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, औद्योगिक कर्मचारियों तथा सामान्य जनता की सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

(ग) जनता को अपने निजी मकान बनाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण के लिए योजना निधियां उपलब्ध हैं । गृह निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, आवास तथा नगर विकास निगम, आवास विकास वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा संस्थागत धन भी उपलब्ध कराया जाता है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिमों का प्रावधान किया जाता है ।

(घ) गतवर्ष के दौरान से केवल भवन निर्माण सामग्री की ही नहीं अपितु सभी जिन्सों की कीमतों में वृद्धि होती रही है । सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से पहले ही यह घोषित कर दिया है कि मूल्यों पर नियन्त्रण के के लिय उपाय किये जायेंगे ।

सूखाग्रस्त राज्यों को दिया गया अनाज

6. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1979 से दिसम्बर 1979 तक किन किन सूखाग्रस्त राज्यों को कुल कितना अनाज दिया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश को सब से कम मात्रा में अनाज देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश को दी जाने वाली अनाज की मात्रा में कोई वृद्धि किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जून से दिसम्बर 1979 तक सूखाग्रस्त राज्यों को सार्वजनिक वितरण पद्धति तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न की सप्लाई की गई मात्रा निम्न प्रकार थी :—

राज्य केन्द्रीय पूल	केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए सप्लाई की गई मात्रा	काम के बदले अनाज तथा काम के बदले अनाज सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त किया गया खाद्यान्न
1	2	3
	(हजार मीटरी टन)	
आन्ध्र प्रदेश	120.2	200
बिहार	202.8	246
मध्य प्रदेश	269.2	230
हरियाणा	44.5	50
हिमाचल प्रदेश	22.1	17
उड़ीसा	106.9	205
उत्तर प्रदेश	517.8	429
राजस्थान	50.0	216
जम्मू तथा कश्मीर	118.4	22.5
महाराष्ट्र	560.7	116
पश्चिम बंगाल	1042.4	195
कुल	3055.0	1926.5

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश को सप्लाई की गई खाद्यान्न की मात्रा न्यूनतम नहीं है । जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए चावल तथा गेहूं की मांग का सम्बन्ध है उसे पूरा किया जा चुका है । मध्य प्रदेश सहित अन्य सूखाग्रस्त राज्यों को सार्वजनिक वितरण पद्धति तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम/काम के बदले अनाज सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन की समुचित मांग को सार्वजनिक वितरण पद्धति से होने वाली खरीद तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोगिता की दर के आधार पर पूरा किया जाएगा ।